(2)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **राजस्व विविध प्रार्थना संख्या : 05/2026** **ओमप्रकाश बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी** **अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16-01-26	प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का पेश कर कथन किया कि ग्राम माधोपुरा तहसील लूणी के खसरा संख्या 427/3 की खरीदसुदा खातेदारी कृषि भ्ङ्गमि में प्रार्थी का नाम ओमाराम पुत्र राणाराम दर्ज है उसके स्थान पर ओमप्रकाश पुत्र श्री राणाराम दर्ज किया जाने का निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार लूणी को इस कार्यालय के पत्रांक राजस्व/2024/126 दिनांक 13.01.2025 के द्वारा जवाब/जांच हेतु लिखा गया। तहसीलदार लूणी के पत्रांक/भू.अ./2025/150 दिनांक 1501.2026 के द्वारा जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल पत्रालवी की गई। तहसीलदार लूणी की जांच रिपोर्ट के अनुसार ग्राम सतलाना (मूल ग्राम) के नामा करण संख्या 1552 (बेचान) में मलाराम पि. रूपाराम जाति पटेल सा.देह खातेदार द्वारा बेचान से ओमाराम या ओमप्रकाश पुत्र राजाराम विश्नोई सा खुडाला दर्ज है।नामा. स. 1552 (बेचान) में उल्लेखित बेचान नामे दिनांक 26.11.2027 के प.सं.–1 जिल्द सं.–69 पृष्ठ सं.140 के क्रम सं. 2007002270 में प्रार्थी का नाम ओमप्रकाश पुत्र राणाराम जाति–विश्नोई निवासी गांव खुद्वाला दर्ज है। पत्रालवी का अवलोकन किया गया। बहस सुनी गई। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है। अत : उपरोक्त विवेचन, तहसीलदार लूणी की रिपोर्ट एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर तहसीलदार लूणी को निर्देशित किया जाता है कि ग्राम माधोपुरा के खसरा संख्या 427/3 के राजस्व रेकर्ड में खातेदार का नाम ओमाराम पुत्र श्री राणाराम के स्थान पर ओमप्रकाश पुत्र राणाराम दर्ज कर रेकर्ड दुरस्ती का अमल दरामद करें। आदेश सुनाया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। हंसमुख कुमार आर. ए. एस. सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी	